राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2018/ 155 दिनांक : 07/03/18

आदेश

श्री कैलाश सिंह भाटी पुत्र श्री शैतान सिंह भाटी निवासी– 3–ए–1, महेश होटल के पिछे गली न0 2 जगदम्बा कॉलोनी बोम्बे मोटर्स जोधपुर राज0 ने अभ्यावदेन दिनांक 30.01.2018 के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1970/2017 श्री कैलाश सिंह भाटी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय ने दिनांक 19.01.2018 को आदेश पारित किया है जो निम्न प्रकार है:–

"In light of the aforesaid observations, this writ petition is allowed. The respondent are directed to consider petitioner's candidature for appointment on the post of Laboratory Assistant as after counter signature made vide Annex. 14 dated 27.10.2015 the experience certificate of petitioner becomes valid, therefore, the respondents are required to give benefit of same to the petitioner for his entitlement arising out of the work done in government hospital. Necessary consideration is required to be made within a period of thirty days from today. The petitioner, if otherwise found eligible, then he shall be given appointment accordingly."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पारित आदेश 19.01.2018 के परिपेक्ष्य में लेख है कि श्री कैलाश सिंह भाटी पुत्र श्री शैतान सिंह भाटी ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 मे ओ.बी.सी. वर्ग में ऑनलाईन (आई.डी.नं. 17120005132) आवेदन किया है। याचि/अभ्यर्थी ने विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सलेम तमिलनाडू से जारी डिप्लोमा मेडिकल लैबोरेट्री टेकनीशियन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं होने के कारण चयन समिति ने मान्य नही किया है। याचि/अभ्यर्थी का सैकण्डरी प्राप्तांक 45.09 प्रतिशत है जिसका 85 प्रतिशत वेटेज 38.33 प्रतिशत होता है। याचि/अभ्यर्थी ने सदस्य सचिव उम्मेद अस्पताल मेडिकल रिलीफ सोसायटी जोधपुर से जारी दिनांक 01.04.2012 से 30.06.2013 तक (कुल कार्य अवधि 1वर्ष 1माह) कुशल श्रमिक (लैब टैक्नीशियन) के पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 की पालना में स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप 1 वर्ष का अनुभव अभ्यर्थी की तकनीकी योग्यता में सम्मलित करने के फलस्वरूप शेष अनुभव के बोनस अंक देय नहीं होगे। इस प्रकार याचि/अभ्यर्थी की कुल औसत 38.33 प्रतिशत बनती है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 2900/2016 मांगीलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 13920/2015 श्री नरेन्द्र कुमार जोशी व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.04.16 की पालना में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी.सिविल स्पेशल अपील रिट याचिका संख्या 578/2016 प्रदीप सिंह बनाम राज सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 की पालना में पूरक परीक्षा में वास्तविक अंको को जोडने के पश्चात अन्तिम कटऑफ से उच्च वरियता वाले अभ्यर्थियों को ओबीसी वर्ग की वरियता सूची में सम्मिलित करने के फलस्वरूप ओबीसी वर्ग की अन्तिम कटऑफ 38.82 के स्थान पर 39.20 प्रतिशत रही है। अतः याचि श्री कैलाश सिंह भाटी पुत्र श्री शैतान सिंह भाटी को औसत प्राप्तांक ओबीसी वर्ग में 39.20 प्रतिशत से कम होने के कारण प्रयोगशाला सहायक के पद पर चयन योग्य नही है।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2018/ 155 दिनांक : 07/03/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) राजस्थान, जयपुर।
3. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री के.एल. ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर एवं केस प्रभारी अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. श्री कैलाश सिंह भाटी पुत्र श्री शैतान सिंह भाटी निवासी– 3–ए–1, महेश होटल के पिछे गली न0 2 जगदम्बा कॉलोनी बोम्बे मोटर्स जोधपुर राज0 (रजिस्टर्ड)
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।